संख्या-57/2020/जी0आई0-26/52-1-2020-28(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2020

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह-मई 2019 से फरवरी 2020 तक के पारिश्रमिक/मानदेय की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय हेतु आवंटित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-62/2019/1222/52-1-2019-28(एम0एस0 डी0पी0)/11 दिनांक 26.12.2019 एवं संशोधन आदेश संख्या-1/2020/11/52-1-2020-28(एम0एस0डी0पी0)/11 दिनांक 06.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा विषयांकित कम्प्यूटर आपरेटरों के माह-मई 2019 से फरवरी 2020 तक अर्थात कुल 10 माह के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/58/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 18.10.2019 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 171.03780 लाख में से **सम्बन्धित लेखा शीर्षक में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि रू0 162.65456 लाख (रूपये एक करोड़ बासठ लाख पैसठ हजार चार सौ छप्पन मात्र)** विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत किया गया था।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि उक्त 98 कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर माह-मई 2019 से फरवरी-2020 तक अर्थात कुल 10 माह के परिश्रमिक/मानदेय की अवशेष धनराशि रू0 8.38324 लाख (रू0 171.03780 लाख-रू0 162.65456 लाख) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एम0एस0डी0पी0-13/58/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 06/05/2020 द्वारा अवमुक्त अवशेष केन्द्रांश (परिश्रमिक/मानदेय की कुल धनराशि पर कुल कर देयता (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत + सेवादाता एजेन्सी का सर्विस जार्च 1.0001 प्रतिशत) की धनराशि रू0 33.51617 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0 41.89941 लाख (रूपये इक्तालिस लाख नवासी हजार नौ सौ इक्तालिस मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-0103-16 में प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख में से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निर्गत की जा रही धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

UniCode IT Cell

http://shasanadesh.up.gov.in

(के0-100/रा0-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	डेटा इंट्री आपरेटरों की संख्या	भा0स0 द्वारा स्वीकृत प्रति माह कुल मानदेय की धनराशि	भा0स0 द्वारा स्वीकृत 10 माह हेतु कुल मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	प्रति माह मानदेय की धनराशि	2019-20 में भा0स0 द्वारा 10 माह हेतु प्राप्त मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	2019-20 में मानदेय की अवमुक्त की गयी धनराशि (केन्द्रांश)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित मानदेय की अवशेष धनराशि (केन्द्रांश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभिन्न जनपद /स्थान	98	0.21420	209.916	0.18	171.03780	162.65456	41.89941
	योग	98	0.21420	209.916	0.18	171.03780	162.65456	**41.89941**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी ।

(2)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी0-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना (के0-100/रा0-00)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी0-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 के प्रस्तर-1(8) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-480/दस-2020, दिनांक 16.07.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UniCode IT Cell

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- जी0आई0-26 (1)/52-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-4 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in